



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक:- एफ 6()अति.आ.राजस्व(सा.प्र.) / जननि / 2023 / 184
दिनांक:- 6.04.2023

-:अभिरूचि की अभिव्यक्ति(Expression of Interest-EOI)का आमंत्रण:-


"माननीय मुख्यमंत्री महोदय" राजस्थान सरकार द्वारा "कोई भूखा ना सोए" की अवधारणा के साथ वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 70 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में संचालित इन्दिरा रसोईयों की लोकप्रियता को देखते हुए इसका ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या 2000 करने का निर्णय लिया गया है। घोषणा की क्रियान्विति हेतु 1000 नवीन इन्दिरा रसोईयां अब प्रदेश के ग्रामीण कस्बों में खोली जानी है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रस्तावित 1000 नवीन इन्दिरा रसोई का संचालन, नियंत्रण एवं समस्त मॉनिटरिंग स्वायत्त शासन विभाग की रहेगी।

जिला स्तर पर इन्दिरा रसोई योजना (ग्रामीण) भी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के निर्देशन में पूर्ववत् संचालित होगी। समिति का सचिव पूर्ववत् जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय के आयुक्त रहेंगे।

ग्रामीण इन्दिरा रसोई के संचालन का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवाभाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/ फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को ~~60~~ ग्रामीण इन्दिरा रसोईयों के संचालन हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा सूचीबद्ध (Empanel) एवं चयन करने हेतु दिनांक 18.04.2023 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति(EOI) आमंत्रित की जाती है।

ग्रामीण कस्बों में इन्दिरा रसोई खोलने हेतु ग्रामीण कस्बों का नाम (EOI) में उपलब्ध है। प्रत्येक ग्रामीण इन्दिरा रसोई हेतु आवेदन पत्र अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक नगर निगम जयपुर हैरिटेज के राजस्व अधिकारी (मु0) शाखा के कमरा नं. 237 व 240 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) तथा योजना के दिशा-निर्देश (गाइलाइन) नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय तथा नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट <http://jaipurmcheritage.org> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।


आयुक्त एवं सचिव
जिलास्तरीय समन्वय एवं
मॉनिटरिंग समिति इ.र.यो.
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज



इन्दिरारसोई योजना

(INDIRA RASOI YOJANA)

के तहत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु

पंजीकृत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/
कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को रसोईयों के संचालन
हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज में सूचीबद्ध (Empanel) एवं चयन करने हेतु

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति(Expression of Interest-EOI)"

का आमंत्रण।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति को नगर निगम जयपुर हैरिटेज में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

दिनांक 18.04.2023 को सांय 5:00 बजे तक

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

इन्दिरा रसोई योजना के अन्तर्गत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध (Empanel) व चयन करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति(Expressions of Interest-EOI) का आमंत्रण।

1. परिचय:- "माननीय मुख्यमंत्री महोदय" राजस्थान सरकार द्वारा "कोई भूखा ना सोए" की अवधारणा के साथ वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 70 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में संचालित इन्दिरा रसोईयों की लोकप्रियता को देखते हुए इसका ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या 2000 करने का निर्णय लिया गया है। घोषणा की क्रियान्विति हेतु 1000 नवीन इन्दिरा रसोईयां अब प्रदेश के ग्रामीण कस्बों में खोली जानी है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रस्तावित 1000 नवीन इन्दिरा रसोई का संचालन, नियंत्रण एवं समस्त मॉनिटरिंग स्वायत्त शासन विभाग की रहेगी।

जिला स्तर पर इन्दिरा रसोई योजना (ग्रामीण) भी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के निर्देशन में पूर्ववत संचालित होगी। समिति का सचिव पूर्ववत जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय के आयुक्त रहेंगे। ग्रामीण इन्दिरा रसोई के संचालन का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवाभाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/ कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ आदि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। खेजरोली, मोरीजा, कालाडेरा, इटावा भोपजी, उदयपुरिया, सामोद, तिगरिया, हारोता, नीवाना, जैतपुरा, नांगल भरडा, चिथवारी, सिंगोदकला, हाथनोडा, नांगलकोजू, मानपुरा मांचेडी, रूडल, अनन्तपुरा, चौप, जाहोता, जयरामपुरा, बिशनगढ, राडाबास, अचरौल, ताला, नांगल सुसावतान, भाबरू, मेड, मंडा, प्रचौडिया, खौरी, अमरसर, बिलन्दरपुर, देवन, करीरी, धानौता, विजयपुरा, आंधी, तुंगा, जटवाडा, बुज, ख्वारानीजी, किशनपुरा, भौनाबास, खेलना, बडनगर, भूरी बहराज, सरुंद, बनेटी, भांखरी, नरेडा, करोली, दांतिल, पथरेरी इत्यादि 54 कस्बों में 60 ग्रामीण इन्दिरा रसोई खोली जानी है। उक्त इन्दिरा रसोईयों के संचालन हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा सूचीबद्ध (Empanel) एवं चयन करने हेतु दिनांक 18.04.2023 सांय 05:00 बजे तक अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को दो समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का शुद्ध व पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को 8/- रु प्रतिथाली की दर पर दोपहर एवं 8/- रु प्रतिथाली की दर से रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध कराया जाना है। योजना की विस्तृत गाईडलाईन विभाग की वेबसाईट(<http://jaipurmcheritage.org>) पर उपलब्ध है।

2. मुख्य नियम व शर्तें:-संस्था के सूचीबद्ध व चयन करने उनके कार्य व दायित्व तथा इसके लिए उनको भुगतान आदि से सम्बन्धित मुख्य नियम/शर्तें निम्नानुसारहै:-

1. इन्दिरा रसोई के संचालन का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवाआधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यावसायिकहित को मूल आधार ना मानते हुए केवल सेवाभाव के आधार पर ही आवेदन किया जाना अपेक्षित है।
2. इच्छुक आवेदक प्रत्येक रसोई हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 'अ' में नगर निगम जयपुर हैरिटेज को प्रस्तुत करेंगे जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।
3. जिले की प्रत्येक नगर निकाय में रसोई योजना संचालन हेतु संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा। रसोई के संचालन हेतु प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/आदि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
4. चयनित संस्था का एम पैनलमेन्ट व चयन प्रथमतया 01 वर्ष तक के लिये किया जायेगा जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है संस्था की परफोरमेन्स व कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

5. संचालक संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर किया जायेगा।
 6. चयनित संचालक संस्था को किसी भी परिस्थिति में अन्य संस्था को Sub-Contract या Partnership में कार्य आवंटित करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संचालक संस्था का चयन निरस्त किया जा सकेगा।
 7. चयनित संचालक संस्था द्वारा चयन के अधिकतम मे तीन दिवस में सम्बन्धित नगर निगम के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 'स' में रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध (Agreement) अनिवार्य रूप से करना होगा। अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
 8. एक संस्था एक से अधिक रसोई हेतु आवेदन कर सकेगी।
 9. रसोईयों के संचालन हेतु भुगतान नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा संचालक संस्था को दिये गये कार्यादेश में वर्णित दरों के अनुसार किया जायेगा।
 10. चयनित संस्था को कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। संस्था का आवंटित कार्यादेश की समय पर पालना नहीं करने की स्थिति में या किसी भी अन्य कारण से संस्था का चयन निरस्त होने या संस्था द्वारा कार्य छोड़ने पर एमपैनलमेन्ट में से उससे कम वरीयता वाले संस्था को कार्य आवंटित किया जा सकेगा।
3. प्रतिभूति(Security)—आवेदन—पत्र के साथ प्रत्येक रसोई हेतु निम्नानुसार राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:—
1. ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक रसोई हेतु प्रतिभूति राशि— 10000/- रूपये

उपरोक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर निगम जयपुर हैरिटेज के आयुक्त के पक्ष में देय होना चाहिए। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर असफल आवेदकों (एमपैनलमेन्ट हेतु चयन नहीं होने पर) को प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जायेगी तथा एमपैनलमेन्ट में सम्मिलित संस्थाओं की यह राशि एमपैनलमेन्ट/चयन अवाधि समाप्त होने पर ही लौटायी जायेगी।

यदि कोई संस्था राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि नहीं लेने का प्रस्ताव देती है (स्वयं के स्तर से वहन करती है) तो उससे प्रतिभूति नहीं ली जायेगी।

4. अनिवार्य योग्यता(Eligibility Criteria)—आवेदन करने वाली संस्था को Empanel एवं चयन हेतु निम्नानुसार योग्यता होना आवश्यक है:—

1. आवेदन करने वाली संस्था का पंजीयन किसी भी एक राजकीय संस्था में निम्न अधिनियम के तहत होना आवश्यक है यथा देवस्थान ट्रस्ट एक्ट— 1882 में पंजीयन, कॉर्पोरेटिव एक्ट— 1958 में पंजीयन, कम्पनी एक्ट— 2013 में पंजीयन, साझेदारी एक्ट— 1932 में पंजीयन, भारतीय न्यास अधिनियम— 1882 पंजीयन।
 2. संस्था को PANनं0 की प्रति संलग्न करनी होगी।
 3. संस्था को जीएसटी नं0 की प्रति संलग्न करनी होगी यदि जीएसटी में पंजीयन नहीं है तो कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार प्रतिवर्ष की अनुमानित लागत के आधार पर जीएसटी प्रावधान लागू होने पर संस्था को नियमानुसार जीएसटी पंजीयन करवाना होगा।
5. संस्था की चयन प्रक्रिया— प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसकी सक्षमता कार्यानुभव सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार क्रम में वरीयता देते हुए Empanel एवं चयन किया जायेगा।
1. जिन संस्थाओं का स्वयं का भवन हो और राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान नहीं लेकर स्वयं के स्तर से योजना के मापदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दें।
 2. जो संस्था राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर योजना के मापदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दें।
 3. जिन संस्थाओं का/स्वपोषित किराये का भवन हो जो पूर्व में ऐसा कार्य कर रही हो।
 4. प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
 5. ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है वे भी योजना से जुड सकती है। उन्हे अपनी रसोई में इन्दिरा रसोई योजना का LOGO प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

उपरोक्त वरीयता में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति, कार्यानुभव, कार्य क्षमता इत्यादि के आधार पर चयन हेतु जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज (इ.र.यो) अधिकृत होगी।

6. चयन समिति—प्राप्त आवेदन पत्रों में से संचालक संस्था का चयन गाईडलाईन के बिन्दु क्रमांक 4.2 के अनुसार गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति, जयपुर हैरिटेज द्वारा किया जायेगा।

7. विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली रसोई एवं संसाधन

1. स्थान—सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा रसोई हेतु स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। उपयुक्तता के आधार पर स्थान निर्धारण कर सरकारी भवनों, आश्रय स्थल, अम्बेडकर भवन, सामुदायिक भवन, अनुपयोगी सरकारी भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्डों, चयनित संस्था के निजी भवनों आदि में संचालित की जायेगी। उक्त में से स्थान की अनुपलब्धता पर किराये के भवन में रसोई का संचालन किया जा सकेगा जिसका भुगतान योजना के आवर्ति व्यय मद से किया जा सकेगा। यदि कोई संस्था रसोई संचालन हेतु अपने स्वयं का भवन अथवा संस्था के द्वारा स्वपोषित किराये के भवन का प्रस्ताव देती है तो (BOI) में वर्णित वरीयता के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
2. आधारभूत व्यय—प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित आधारभूत संसाधन नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे— (i) भवन की एकरूपता साज-सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस-चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्टी, चिमनी, वाटरकूलर, आर.ओ. सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीपफ्रीज, चपातीवार्मर, सब्जीवार्मर, मिक्सर ग्राइण्डर, आटा गूंधने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (v) टेबल-कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उपरोक्त संसधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित संचालक संस्था की होगी।
3. आवर्ती व्यय—प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित संसाधन पर होने वाला आवर्ती व्यय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। (i) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंगरोगन, मरम्मत एवं साज-सज्जा का कार्य (iii) सैनिटाइजर एवं मास्क (iv) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं कंटेरिंग सामान का रिप्लेसमेंट (v) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन का किराया (vi) कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय का भुगतान एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज की अनुशंषा पर रसोई के सुचारु संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।
8. खाने की संख्या—रसोई संचालन के प्रथम वर्ष में नगर निगम क्षेत्रों में प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली लंच एवं 100 थाली डिनर दिया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संस्था द्वारा लाभार्थी को बैठाकर भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।
9. मैन्यू—योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं आचार सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रतिथाली 100 ग्रामदाल 100 ग्रामसब्जी 250 ग्रामचपाती एवं आचार दिया जायेगा।
10. सामान्यत दोपहर का भोजन प्रात 08.30 बजे से मध्यान्ह 02.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 05.00 बजे से 08.00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समिति अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।
11. जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वादानुसार समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

12. लाभार्थी से ली जाने वाली राशि एवं देय अनुदान राशि:-

1. लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रु प्रतिथाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रु प्रतिथाली लिए जायेंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन हेतु प्रतिथाली 17 रु एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रतिथाली 17 रु की राशि अनुदान के रूप में सम्बन्धित संस्था को दी जायेगी। लाभार्थी से ली जाने वाली राशि पर नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
3. यदि कोई संस्था अनुदान राशि नहीं लेने का प्रस्ताव देती है तो प्रस्ताव युक्ति युक्त पाये जाने की स्थिति में उस पर EOI में वर्णित वरीयता के अनुसार विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति, जयपुर हैरिटेज का निर्णय अन्तिम होगा।


13. दान व जनसहभागिता- इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिलास्तरीय इन्दिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। रसोई में विभिन्न दानदाताओं द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनो समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक द्वारा रसोई संचालक को किया जाएगा। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि आज का भोजन श्री..... द्वाराकारण से प्रायोजित है। प्रायोजक व्यक्ति द्वारा लागत राशि का भुगतान सम्बन्धित बैंक खाते में/रसोई संचालक को किया जाएगा, जिसकी ऑनलाईन प्राप्ति रसीद दी जायेगी। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को निदेशालय स्तर से प्रशस्ति-पत्र प्रदान तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की ओर से अभिनन्दन पत्र दिया जायेगा। (प्रशस्ति पत्र एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से अभिनन्दन पत्र इन्दिरा रसोई पोर्टल के माध्यम से ऑटोजेनरेट) ताकि अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकें। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नहीं लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्थायें सीधे रूप से दान एवं जन सहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य करेगी।

14. भुगतान प्रक्रिया- योजना के दिशा-निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

15. संस्था की भूमिका एवं दायित्व-जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज से चयनित संस्था रसोई के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति सम्बन्धित निकाय व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों की अक्षरक्षः पालना करनी होगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

1. संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बैठाकर उपलब्ध कराया जावेगा।
2. संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले इत्यादि स्वयं के खर्च पर क्रय किये जायेंगे। स्थानीय निकाय द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
3. भोजन बनाने एवं वितरण करने से सम्बन्धित समस्त कार्य तथा केन्द्र को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक कार्मिक एवं साधनों की व्यवस्था की जावेगी।
4. संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से सम्बन्धित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं आधारभूत/आवर्ती साधनों के अतिरिक्त उपयोग में लिए जा रहे साधनों का कय भी स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।
5. भोजन व्यवस्था के लिए लगने वाले ईंधन/गैस की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जावेगी।
6. संस्था को जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय स्वादानुसार मैनु तैयार करना होगा। संस्था द्वारा भोजन का मैनु मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आस-पास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

7. रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण व्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्यूटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज संस्था को दिरे गए अनुदान की जाँच कर सकेंगी।
 8. लाभार्थियों से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन तथा पेटीएम, फोनपे इत्यादि के माध्यम से भी ली जासकेगा।
 9. लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर नाम व मोबाइल नं० अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा।
 10. लाभार्थी से दोपहर का भोजन 8 रु प्रतिथाली एवं रात्रि का भोजन की निर्धारित राशि 8 रु प्रतिथाली ली जावेगी।
 11. संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल सम्बन्धित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 7तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलों को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निगम जयपुर हैरिटेज आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने में सहयोग करेगी।
 12. संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है तो वह बिना भोजन के वापिस नहीं जावे।
 13. प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटाईजर आदि रखे जावेंगे।
 14. रसोई का संचालन नियमित रूप से करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में रसोई का संचालन नहीं कर पाने की स्थिति में सम्बन्धित नगरीय निकाय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
 15. आधारभूत मद से उपलब्ध कराये गये आधारभूत संसाधनों की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर कय करना होगा। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनों को सम्बन्धित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।
 16. कार्यकारी संस्था को योजना से सम्बन्धित विवरण एवं LOGO डिस्ले बोर्ड पर या साईनबोर्ड के माध्यम से रसोई के बाहर एवं अन्दर प्रदर्शित करना होगा।
16. मॉनिटरिंगव्यवस्था— योजना के दिशा-निर्देशानुसार मॉनिटरिंग की जावेगी।
17. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति होने पर जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. आवेदनपत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश— आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरकर इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर नगर निगम, जयपुर हैरिटेज में जमा कराना होगा:—
1. आवेदन पत्र हस्ताक्षर सहित।
 2. प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के नाम के पक्ष में देय होगा।
 3. EOI की प्रति (प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की मोहर)।
 4. संस्था के पंजीयन के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
 5. पेनकार्ड/जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रतिलिपि।
 6. अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज यदि उपलब्ध हों।


 आयुक्त एवं सचिव
 जिलास्तरीय समन्वय एवं
 मॉनिटरिंग समिति इ.र.यो.
 नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

इन्दिरारसोई योजना

आवेदन पत्र

(प्रत्येक रसोई हेतु अलग-अलग आवेदन करें)

क.सं.	विषय वस्तु	विवरण
1	कस्बे का नाम जिसकी रसोई हेतु आवेदन किया जा रहा है।
2	रसोई का कार्यक्षेत्र अथवा रसोई क्रमांक
3	आवेदक संस्था का नाम
4	आवेदक संस्था का प्रकार
5	संस्था प्रधान का नाम
6	संस्था के कार्यालय का सम्पूर्ण पता मय पिनकोड
7	संस्था का सम्पर्क सूत्र	टेलीफोन नं. मोबाईल नं.
8	संस्था का ई-मेल

क.सं.	विषय वस्तु	विवरण	संलग्नदस्तावेज	प्रस्ताव का पृष्ठ संख्या
1.	संस्था का पंजीयन व सम्बन्धित दस्तावेज			
2.	संस्था का पेन नं0 व सम्बन्धित दस्तावेज			
3.	संस्था का जीएसटी व सम्बन्धित दस्तावेज			
4.	संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक की प्रतिसंलग्न करें)			
5.	प्रतिभूतिराशि का विवरण व दस्तावेज			
6.	संस्था के सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में अनुभव का विवरण व सम्बन्धित दस्तावेज			
7.	यदि संस्था को किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है अथवा नहीं (केवल हाँ/नहीं अंकित करें)			
8.	संस्था रसोई का संचालन जिस भवन में करेगी उसका विवरण	केवल एक का ही चयन कर निर्धारित स्थान पर विवरण भरें:- <input type="checkbox"/> संस्था का स्वयं का भवन <input type="checkbox"/> संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन <input type="checkbox"/> राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन		
I	संस्था का स्वयं का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
II	राज्य द्वारा स्वपोषित किराये का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
III	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन			
9.	वित्तीय प्रस्ताव- यदि राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान लेना चाह रहे है अथवा नहीं (केवल हाँ/नहीं अंकित करें)			
10.	EOI के समस्तपृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की सील (संलग्न करपृष्ठ क्रमांकअंकित करें)			

उपरोक्त वर्णित समस्त सूचना मेरे द्वारा पूर्ण सत्यता से भरी गई है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाती है। तो मैं उसका पूर्ण जिम्मेदार रहूँगा।

आवेदनकर्ता संस्थाप्रधान के
हस्ताक्षर मय मोहर

क. सं.	जिला का नाम	कस्बों का नाम	रसोई की संख्या	निकाय का नाम जहाँ आवेदन प्रस्तुत करना है
1.	जयपुर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर हैरिटेज (इ.र.यों)	खेजरोली, मोरीजा, कालाडेरा, इटावा भोपजी, उदयपुरिया, सामोद, तिगरिया, हारोता, नीवाना, जैतपुरा, नांगल भरडा, चिथवारी, सिंगोदकला, हाथनोडा, नांगलकोजू, मानपुरा मांचेडी, रूडल, अनन्तपुरा, चौप, जाहोता, जयरामपुरा, बिशनगढ, राडाबास, अचरौल, ताला, नांगल सुसावतान, भाबरू, मेड, मंडा, पचौडिया, खौरी, अमरसर, बिलन्दरपुर, देवन, करीरी, धानौता, विजयपुरा, आंधी, तुंगा, जटवाडा, बुज, ख्यारानीजी, किशनपुरा, भौनाबास, खेलना, बडनगर, भूरी बहराज, सरुंद, बनेटी, भांखरी, नरेडा, करोली, दांतिल, पथरेरी	60	नगर निगम जयपुर हैरिटेज (मु0)
		कुल	60	

प्रारूप

इन्दिरा रसोई योजना

अनुबंध (Agreement) संख्या/2023

आज दिनांक.....को प्रथम पक्ष आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगरनिगम/परिषद/पालिकाएवं द्वितीय पक्षसंचालक संस्था का नाम व पता के मध्य यह अनुबंध (Agreement) निष्पादित हुआ है।

यह अनुबंध इन्दिरा रसोई योजना के तहत नगर निगम/परिषद/पालिका..... (क्षेत्र का नाम) में स्थापित रसोई.....(रसोई का स्थान मय पता) के संचालन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए संचालक संस्था के रूप में.....(फर्म का नाम) द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए सम्पादित किया गया है। इस सम्बन्ध में दोनो पक्ष सहमत है कि :-

1. कार्य :-

- I. संचालक संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन, EOI कार्यादेश व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप संचालक संस्था के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगी।
- II. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल नं अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात् ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। संचालक संस्था द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा।

2. समायावधि :-

- I. कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष हेतु अनुबन्ध प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- II. अनुबन्ध अवधि के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही गाईडलाईन एवं EOI में वर्णित दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- III. संस्था की परफोरमेन्स व कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

3. भुगतान

- I. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रुपये प्रतिथाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रुपये प्रतिथाली लिए जायेंगे।
 - II. संचालक संस्था को कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार वितरित किये गये दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रतिथाली की दर से अनुदान राशि दी जायेगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
 - III. संचालक संस्था को अनुदान एवं नियमानुसार देय जीएसटी राशि का भुगतान प्रति माह किया जायेगा। भुगतान प्रक्रिया योजना की दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
 - IV. संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत विलों को संबंधित नगर निकाय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण का आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित इकाईयां होगी।
4. सब कॉन्ट्रैक्ट व पार्टनरशिप:- संचालक संस्था को आवंटित कार्य या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य संस्था को Sub contract and Partnership पर नहीं दिया जायेगा।
5. अनुबंध के लिए विधि :- यह अनुबंध भारत तथा राजस्थान राज्य की विधि (Law) के तहत क्रियान्वित किया जायेगा। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र.....होगा।
6. क्षतिपूर्ति:- आधारभूत मद से उपलब्ध करायी गये आधारभूत संसाधनों की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराना होगा। संचालक संस्था द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनों को संबंधित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।
7. वाद विवाद:- अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने की स्थिति में संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EOI तथा योजना के राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा।
8. अनुबन्ध का भाग :- संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश, विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15 (ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो/20/3704 दिनांक 02.08.2020 द्वारा योजना की जारी की गई गाईडलाइन (यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EOI अनुबन्ध के भाग होंगे।

नगर निकाय की ओर से हस्ताक्षर	संचालक संस्था की ओर से हस्ताक्षर
नाम.....	नाम.....
पदनाम.....	पदनाम.....
गवाह	गवाह
1.....	1.....
2.....	2.....

क्र.सं.	जिला	ग्रामीण कस्बा	नजदीकी निकाय का नाम	रसोईयों की संख्या	रसोई के लिये स्थान/भवन का पता
1	जयपुर हैरिटेज	खेजरोली	न.पा. चौमूं	2	पुराना राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य भवन खेजरोली
2		मोरीजा	न.पा. चौमूं	2	1 बस स्टैंड मोरीजा स्थित समुदायक भवन मे 2 बाईपास भोजलावा कट के पास किराए के भवन मे
3		कालाडेरा	न.पा. चौमूं	2	1 बस स्टैंड कालाडेरा स्थित ग्राम पंचायत के समुदायक भवन मे 2 वार्ड नंबर 10 रेजर मोहल्ला कालाडेरा मे स्थित समुदायक भवन मे
4		इटावा भोपजी	न.पा. चौमूं	2	1 रा. महा. गा. स्कूल के पास इटावा भोपजी 2 राजकीय सामुदायक चिकित्सालय इटावा भोपजी
5		उदयपुरिया	न.पा. चौमूं	1	राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला विद्यालय पुराना भवन मुख्य चौक के पास उदयपुरिया
6		सामोद	न.पा. चौमूं	1	समुदायक भवन बंदोल महामाया मंदिर के पास ग्राम पंचायत समोद
7		तिगरिया	न.पा. चौमूं	1	ग्राम पंचायत के सामने स्थित सरकारी भवन मे
8		हारोता	न.पा. चौमूं	1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुराना भवन ग्राम पंचायत हाडोता
9		नीयाना	न.पा. चौमूं	1	बांस का टीवा स्थित समुदायक भवन मे
10		जैतपुरा	न.पा. चौमूं	1	पुरानी पुलिस चौकी जैतपुरा के पास रिको एरिया परिसर (पुराना पशु उप केंद्र)
11		नांगल भरडा	न.पा. चौमूं	1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नांगल भरडा व समुदायक भवन नांगल भरडा ग्राम पंचायत के पास
12		चीथवारी	न.पा. चौमूं	1	चीथवारी मौंड किराए के भवन मे चीथवारी
13		सिंगोदकला	न.पा. चौमूं	1	पुरानी पंचायत भवन सिंगोदकला
14		हाथनोडा	न.पा. चौमूं	1	ग्राम पंचायत भवन हथनोडा के सामने ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित तीन खाली दुकान
15		नांगलकोज	न.पा. चौमूं	1	श्री लालचंद पुत्र श्री ईश्वर मीना का मकान किराए पर ग्राम पंचायत भवन के पास
16		मानपुरा मांचेडी	न.पा. चौमूं	1	पुराना राजकीय भवन मानपुरा मचेडी स्टैंड
17		रुंडल	न.पा. चौमूं	1	राजकीय उच्च मध्यमिक विद्यालय रुंडल पशु चिकित्सालय के सामने रुंडल (राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रुंडल)
18		अनन्तपुरा	न.पा. चौमूं	1	समुदायक भवन जांगीडी के मोहल्ले मे ग्राम अनन्तपुरा
19		चौप	न.पा. चौमूं	1	सहकारी समिति के पास चौप
20		जाहोता	न.पा. चौमूं	1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाहोता
21		जयरामपुरा	न.पा. चौमूं	1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयरामपुरा रामदेवरा
22		विशनगढ	न.पा. मनोहरपुर	1	सार्वजनिक समुदायक भवन कृष्ण मंदिर के पास समुदायक भवन हनुमान जी के मंदिर के पीछे राडावास
23		राडावास	न.पा. मनोहरपुर	1	1 रा0मा0वि0 ढानी सब्जी मंडी के पास एन.एच-11 सी अचरोल 2 सामुदायक भवन तिराहा के पास अचरोल
24		अचरोल	न.पा. मनोहरपुर	2	
25		ताला	न.पा. मनोहरपुर	1	ताला जोहडा केंद्र मदरसा मे
26		नांगल सुसावतान	न.पा. मनोहरपुर	1	सामुदायक भवन ग्राम नांगल सुसावतान नारदपुरा रोड
27		भावरू	न.पा. विराटनगर	1	आदर्श चौथा मंदिर का पुराना भवन

28				
29				
30	मंडा	न.पा. विराटनगर	2	1 सीएचसी मंडा परिसर में सामुदायिक भवन
31	पचौडिया	न.पा. विराटनगर	1	सामुदायिक भवन मंडा
32	खोरी	न.पा. शाहपुरा	1	सार्वजनिक सामुदायिक भवन बस स्टैंड खोरी
	अमरसर	न.पा. शाहपुरा	1	सार्वजनिक धर्मशाला बस स्टैंड अमरसर
33				पुराने ग्राम पंचायत भवन विलान्दरपुर
34	विलान्दरपुर	न.पा. शाहपुरा	1	
35	देवन	न.पा. शाहपुरा	1	सार्वजनिक धर्मशाला
36	करीरी	न.पा. शाहपुरा	1	पुराने भवन ग्राम पंचायत भवन करीरी
37	धानौता	न.पा. शाहपुरा	1	प्राथमिक विद्यालय सुभाष चौक धानौता
38	विजयपुरा	न.पा. बस्ती	1	निजी भवन रेगर मोहल्ला विजयपुरा
39	आधी	न.पा. बस्ती	1	ग्राम सेवा सहकारी समिति का भवन
40	तुगा	न.पा. बस्ती	1	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवनिर्मित भवन
	जटयाडा	न.पा. बस्ती	1	पुराने ग्राम पंचायत भवन जटयाडा
41				आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम के पास पुराना भवन ग्राम पंचायत के नजदीक में
	बुज	न.पा. बस्ती	1	
42	खाबारानी जी	न.पा. बस्ती	1	रा0प्रा0वि0 जच्चाखाना खयारानिजी
				रा0प्रा0वि0 किशनपुरा
43	किशनपुरा	न.पा. बस्ती	1	
44	भौनाबास	न.पा. पावटा	1	पुराना विद्यालय भवन प0 भवन के सामने भौनाबास
45	खेलना	न.पा. पावटा	1	पुराना पंचायत भवन खेलना
46	बडनगर	न.पा. पावटा	1	पुराना पंचायत भवन बडनगर
	भूरी			राजीव गांधी सेवा केंद्र के पास भूरी बहराज
47	बहराज	न.पा. पावटा	1	
48	सरुद	न.प. कोटपूतली	1	
49	बनेठी	न.प. कोटपूतली	1	रा0प्रा0वि0 बनेठी का भवन
50	भाखरी	न.प. कोटपूतली	1	पुराना पंचायत भवन भाखरी
51	नरेडा	न.प. कोटपूतली	1	रा0प्रा0वि0 सुरजेवाला चौक नरेडा
				बजरगदास मंदिर के पास पुराने पीएचसी भवन में कारौली
52	कारौली	न.प. कोटपूतली	1	
53	दातिल	न.प. कोटपूतली	1	पुराना पंचायत भवन दातिल
54	पथररी	न.प. कोटपूतली	1	पुराना पंचायत भवन पथररी
जयपुर जिला योग			60	

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार रसोईयों की संख्या एवं स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है परिवर्तित संख्या एवं स्थान की सूचना से संस्था को अवगत करवा दिया जावेगा।